संख्या-121/2021/1491/22-4-2021-48(32)/07

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 21 दिसम्बर, 2021

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रिजन गेट सिक्योरिटी सिस्टम (यूनिफाइड केस रेटेड गेट सिक्योरिटी सिस्टम) की स्थापना कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-91/2021/526/22-4-2021-48(32)/07, दिनांक-11 अगस्त, 2021 एवं अपने पत्र संख्या-36998/आधु0-01/नयी जेल/प्रयागराज/2021, दिनांक-29.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-29.10.2021 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रिजन गेट सिक्योरिटी सिस्टम (यूनिफाइड केस रेटेड गेट सिक्योरिटी सिस्टम) की स्थापना कराये जाने हेतु गर्वमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम पोर्टल) के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 1,13,23,000/-(रूपया एक करोड़ तेरह लाख तेइस हजार मात्र) को मैसर्स होमबिज सिक्योरिटी कन्सलटेंट, लखनऊ के पक्ष में उक्त सीमा तक कार्य कराये जाने हेतु क्रयानुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई / महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे ।

(4) उपकरणों के क्रय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है, तो वह राजकोष में जमा कर दी जायेगी ।

(5) स्वीकृति धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2022 तक कर लिया जायेगा।

भवदीय,

अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-121/2021/1491(1)/22-4-2021-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0 कानपुर।
3- अनु सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।